

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

—:अधिसूचना :—

क्र. / 3359

/भूअर्जन/अ-82/2022,

कोरबा, दिनांक 14/03/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन —
(क) जिला — कोरबा
(ख) ग्राम — शुक्लाखार
(ग) तहसील — कटघोरा
(घ) क्षेत्रफल — 4.742 हे.

स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	147/2	0.036	28	75/1ख	0.053	55	131	0.008
2	151/1च/1	0.040	29	56/1ग	0.057	56	263/5	0.032
3	151/1च/2	0.040	30	128/2	0.053	57	133/5	0.008
4	151/1च/3	0.040	31	120/3	0.105	58	133/7	0.008
5	151/1च/4	0.040	32	209/1	0.028	59	133/6	0.008
6	147/1, 141/1, 146/1, 152/3	0.053	33	210	0.085	60	240/1क	0.113
7	151/2	0.016	34	237/2	0.061	61	240/1घ	0.117
8	1/15	0.085	35	86/2	0.020	62	239/2	0.008
9	135/4	0.016	36	209/2	0.028	65	235/2	0.032
10	135/7	0.165	37	237/4	0.153	66	56/1क	0.206
11	135/8	0.133	38	86/3	0.020	67	151/6	0.105
12	135/1	0.129	39	203/8	0.081	68	133/1	0.040
13	135/5	0.109	40	203/4	0.061	69	133/2	0.008
14	123/1	0.165	41	203/1	0.268	70	133/3	0.008
15	126	0.028	42	211/4	0.041	71	133/4	0.008
16	90/1, 89	0.085	43	203/10	0.008	72	133/8	0.008
17	91/2	0.109	44	211/5	0.085	73	133/9	0.008
18	122/1/ख	0.049	45	237/3	0.097	74	132/1	0.101
19	122/2	0.016	46	240/1ख	0.041	75	127/2	0.113
20	92	0.008	47	240/1ग	0.016	76	149	0.073
21	122/1/क	0.194	48	239/1	0.008	77	132/2	0.121
22	87/4	0.008	49	264/2	0.073	78	211/2	0.032

	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल
	88/1, 170/1, 171, 183	0.061	50	264/1	0.101	79	216	0.053
24	87/3	0.024	51	259/2	0.041	योग		4.742
25	169, 170/2	0.016	52	260	0.024			
26	183/3/ख	0.089	53	141/2, 146/2, 147/3, 152/5	0.049			
27	87/5	0.032	54	151/5	0.081			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


 भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 कटघोरा, जिला - कोरबा (छ. ग.)


 (संजीव कुमार झा)
 कलेक्टर
 जिला-कोरबा
 एवं पदेन उप सचिव
 छ.ग. शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग